Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 31-2016/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2016
(7 फाल्गुन, 1937 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 7/संवि०/अनु0 309/2016, दिनांक 26 फरवरी, 2016 – हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा (संशोधन) नियम, 2016. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	47–48
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 फरवरी, 2016

संख्या सा0का0नि0 7/संवि0/अनु0 309/2016-& भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा नियम, 1986, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग ख सेवा नियम, 1986 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 9 के बाद, खाना 3 तथा 4 के नीचे, टिप्पण–1 में, मद (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

3	4
''(ग) महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यापित समतुल्य परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा न्यूनतम पात्रता शर्त होगी: परन्तु वे उम्मीदवार जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक और पी0एच0डी0 की डिग्री ग्रहण करने की प्रक्रिया) विनियमन, 2009, के अनुसार में पी0एच0डी0 की डिग्री अर्जित की है या कर ली गई है उन्हें सहायक प्रोफेसर या महाविद्यालयों में समकक्ष पदों पर भर्ती तथा नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य प्राध्यापक पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट दी जाएगी : परन्तु यह और कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य प्राध्यापक पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के विषयों में अपेक्षित नहीं होगी, जिनके लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य प्राध्यापक पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा संचालित नहीं है।	(ग) महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में भर्ती तथा नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यापित समतुल्य परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा न्यूनतम पात्रता शर्त होगी: परन्तु वे उम्मीदवार जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (न्यूनतम मानक और पी0एच0डी0 की डिग्री ग्रहण करने की प्रक्रिया) विनियमन, 2009, के अनुसार में पी0एच0डी0 की डिग्री अर्जित की है या कर ली गई है उन्हें सहायक प्रोफेसर या महाविद्यालयों में समकक्ष पदों पर भर्ती तथा नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य प्राध्यापक पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट दी जाएगी : परन्तु यह और कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य प्राध्यापक पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के विषयों में अपेक्षित नहीं होगी, जिनके लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य प्राध्यापक पात्रता परीक्षा/राज्य पात्रता परीक्षा संचालित नहीं है।''।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
उच्चतर शिक्षा विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 26th February, 2016

No. G.S.R. 7/Const./Art. 309/2016.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Education (College Cadre) Group B Service Rules, 1986, namely:-

1 These rules may be called the Haryana Education (College Cadre) Group B Service (Amendment) Rules, 2016.

2 In the Haryana Education (College Cadre) Group B Service Rules, 1986, in Appendix B, after serial number 9, under columns 3 and 4, in Note-I, for item (c), the following items shall be substituted, namely:-

3	4
"(c) National Eligibility Test (NET) conducted by the University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research or similar test accredited by the University Grants Commission like SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment as Assistant Professor in Colleges: Provided that the candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Colleges: Provided further that NET/ SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET /SET is not conducted.	(c) National Eligibility Test (NET) conducted by the University Grants Commission, Council of Scientific and Industrial Research or similar test accredited by the University Grants Commission like SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment as Assistant Professor in Colleges: Provided that the candidates, who are, or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Colleges: Provided further that NET/ SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET /SET is not conducted.".

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Higher Education Department.

54083—L.R.—H.G.P., Chd.